UPMT010055952017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, मथुरा
सत्रवाद संख्या–256/2017
राज्य बनाम अमित आदि
धारा–395, 397, 412 भा०दं०सं०
थाना–फरह, जनपद–मथुरा

12–12–2022

प्रकरण पेश हुआ। अभियुक्तगण अमित, सुमित, प्रदीप एवं विक्की की ओर से हाजिरी माफी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, न्यायहित में द्वारा अधिवक्ता आज के लिये स्वीकृत। वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्तगण आकाश शर्मा एवं बन्टी जयपुर जिला कारागार से नहीं आये हैं।

वादी नारायण सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र 61 ख प्रस्तुत कर उसके निस्तारण पर बल दिया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 61 ख –

प्रार्थना पत्र 61 ख वादी की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा समर्थित कर इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त प्रकरण में वह वादी मुकदमा तथा उसका साक्ष्य पी०डब्लू०–1 के रूप में हो चुका है, अन्य गवाह अनिल कुमार शर्मा पुत्र आर०पी० शर्मा निवासी आवास विकास, सिकन्दरा, आगरा का साक्ष्य वह कराना नहीं चाहता है। गवाह पक्षद्रोही हो गया है। इस कारण साक्षी अनिल कुमार शर्मा को साक्ष्य से उन्मोचित किये जाने का याचना किया गया है

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर मौखिक आपत्ति की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, वादी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

जिससे स्पष्ट है कि उक्त मामले में साक्षी पी०डब्लू० –1 वादी नारायण सिंह रावत की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है तथा पत्रावली शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। वादी/ अभियोजन की ओर से साक्षी अनिल कुमार शर्मा जिन्हें केस डायरी में सूची गवाहान में बतौर अभियोजन साक्षी दर्शित किया गया है, को अभियुक्तगण से मिल कर पक्षद्रोही हो जाने के कारण अभियोजन साक्ष्य से उन्मोचित किये जाने का याचना किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सत्रवाद प्राचीन श्रेणी का है, जिसकी निगरानी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है। सत्रवाद के त्वरित निस्तारण हेतु न्यायहित में प्रार्थना पत्र 61 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 61 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 61 ख स्वीकार किया जाता है। अभियोजन साक्षी अनिल कुमार शर्मा पुत्र आर०पी० शर्मा निवासी आवास विकास, सिकन्दरा, आगरा को उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण आकाश शर्मा एवं बन्टी जयपुर जिला कारागार से नियत दिनांक हेतु तलब किया जाये।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 02–01–2023 को पेश हो।

(अवनीश कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10, मथुरा
J.O.Code– U.P. 1686

Digitally signed by Avanish Kumar Pandey
Date: 2022.12.24 11:18:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court